न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–313/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00123)

01. लाड़ादेवी पत्नी नानाराम,
02. प्रभाती देवी पत्नी गोरधन,
03. गोपाल पुत्र माहरिया,
04. बिरदा पुत्र मोहरिया,
05. मनभरी देवी पत्नी कजौड़,
06. बद्री नारायण पुत्र कजोड़,
07. विनोद कुमार पुत्र कजोड़,
08. गोगराज पुत्र कजोड़,
09. गणेश पुत्र कजोड़,
10. पप्पूराम पुत्र कजोड़, समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासी चंदपुरा जाटान, तहसील आमेर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. मंगलाराम पुत्र कालूराम जाट निवासी चंदपुरा जाटान तहसील आमेर जिला जयपुर।
02. भंवर लाल पुत्र जगदीश,
03. रमेश चन्द पुत्र जगदीश,
04. राम सहाय पुत्र जगदीश,
05. भगवान सहाय पुत्र जगदीश समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी चंदपुरा जाटान, तहसील आमेर जिला जयपुर।
06. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
07. उप पंजीयक तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

08. श्रीमती सोनी देवी धर्मपत्नी स्व. चौथ्या,
09. श्री नारायण पुत्र सुआ लाल,
10. गोपाल पुत्र सुआलाल, समस्त जाति ब्रहाम्ण निवासी चंदपुरा जाटान, तहसील आमेर जिला जयपुर।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 30.09.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 17.06.2016 (प्रकरण संख्या 37/2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 8, 9, 10 के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अपीलान्ट्स जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये तत्पश्चात् पत्रावली वास्ते जवाब व तलबी अप्रार्थीगण संख्या 14 व 15 के लिए नियत चल रही थी, को सूचना दिये बगैर ही पत्रावली को अचानक दिनांक 11.06.2016 को कैम्प राधाकिशनपुरा मे रखी गई तथा इसके पश्चात् दिनांक 13.06.2016 को कैम्प बिचपड़ी तथा दिनांक 17.06.2016 को कैम्प चौंप में रखकर अनुचित व अवैध रूप से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.06.2016 पारित किया गया है, जो सही तथ्यों रिकार्ड एवं न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक तथ्यों को समझे बिना कतई परवर्स आरबीट्रेरी एवं कॉट्रेरी टू लॉ अपीलाधीन निर्णय पारित कर भयंकर कानूनी गलती की है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सूचना एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की है। उन्होने यह भी कथन किया है कि पटवारी व तहसीलदार ने रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी भी प्रकार से सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया पटवारी ने प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण से साजकर रिपोर्ट तैयार की है जिसको ही आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो सरसरी तौर ही निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वाके ग्राम चंदपुरा जाटान में खसरा नम्बर 17 रकबा 5.66 हैक्टयर भूमि की नक्शा शीट पर पूर्व नक्शा शीट को रखे जाने पर यह स्पष्ट होता है कि गत खसरा नम्बरान 459, 460 एवं 461 की भूमि के हाल खसरा नम्बरान 132, 133, 207, 194 कायम किये गये जिसमें रेस्पोडेन्ट की आराजीयात को शामिल करते हुए अपीलान्ट के भूमि के नक्शें को राजस्व कर्मचारियें द्वारा गलत रूप से बढ़ा दिया गया। उन्हाने आगे कथन किया है कि हाल खसरा नम्बरान 127 रकबा 5.66 हैक्टयर भूमि पर रेस्पोडन्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन वर्तमान नक्शा ट्रेस की नाप जो लिपिकीय त्रुटि की वजही से गलत अंकन हो गया है जबकि वर्तमान जमाबन्दी के कुल रकबे के आधार पर एवं पुराना नक्शा ट्रेस के आधार पर लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त कराकर वर्तमान नक्शा ट्रेस को दुरूस्त कराना न्यायहित में आवश्यक होने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की विधिवत रूप से जॉच करके एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देने के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 12.10.15 को पत्रावली रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 की तलबी हेतु नियत थी तत्पश्चात पत्रावली के कई बार तारीख पेशीया पड़ने के बाद पत्रावली दिनांक 11.06.16 को कैम्प राधाकिशनपुरा में पेश हुई जहॉ रेस्पाडेन्ट संख्या 1 का पुत्र एवं रेस्पोडन्ट संख्या 5 ही उपस्थित रहे है और तारीख पेशी दिनांक 13.06.16 नियत होकर दिनांक 13.06.16 को पत्रावली कैम्प बीचपड़ी में पेश होकर तहसीलदार की रिपोर्ट हेतु कैम्प चौंप की तारीख पेशी दिनांक 17.06.2016 नियम हुई है एवं दिनांक 17.06.16 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत कैम्प चौंप में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की उक्त समस्त कार्यवाही के दौरान अपीलान्ट के उपस्थित रहने या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सूचित किये जाने अथवा सुनवाई का अवसर दिये जाने बाबत कोई भी साक्ष्य, सबूत या तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नही है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही लोक अदालत की भावना के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।